न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/1187

1. मंदिर श्री हनुमानजी विराजमान ग्राम खेडी मिलक तहसील फुलेरा, हाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर जरिये पुजारियान शंकर एवं कैलाश पुत्रान राधेश्याम सीताराम पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेडी मिलक तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर राज०।

—अपीलांट

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र देवा जाति अहीर
2. रामपाल
3. मांगीलाल
4. रामेश्वरा
5. जगदीश पुत्रान ज्ञानाराम जाति अहीर निवासी ग्रामखेडी मिलक तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
6. फूली देवी पत्नी टीकूराम
7. रामस्वरूप
8. रामसिंह
9. रोशन पुत्रान टीकूराम जाति अहीर निवासी ग्राम खेडी मिलक तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
10. मनभरी पुत्री टीकूराम पत्नी जगदीश
11. उर्मिला पुत्री टीकूराम पत्नी पप्पूराम
12. गुडडी पुत्री टीकूराम पत्नी महिपाल जाति अहीर निवासी ग्राम बासडी कलॉ तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
13. कस्तुरी पुत्री श्योदान पत्नी प्रभुदयाल
14. सोहनी पुत्री श्योदान पत्नी रामूराम
15. मोहनी पुत्री श्योदान पत्नी कजोडमल जाति अहीर निवासी ग्राम नारी का बास, तहसील व जिला जयपुर।
16. सीता पुत्र श्योदान पत्नी रामकुवार
17. भँवरी पुत्री श्योदान पत्नी सांवरमल
18. सोना पुत्री श्योदान पत्नी मालीराम जाति अहीर निवासी आष्टीकलॉ तहसील चौमू जिला जयपुर ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

19. गीता पुत्री श्योदान पत्नी शिशुपाल जाति अहीर निवासी बागडो का बास तहसील चौमू जिला जयपुर।
20. संतोष पुत्री श्योदान पत्नी सांवरमल जाति अहीर निवासी ग्राम चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०।
21. झमरी देवी पत्नी गोपाललाल
22. सुरेश पुत्र गोपाल लाल
23. रामनिवास पुत्र कायली पत्नी नोलाराम समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खेडी मलिक तहसील रेनवाल जिला जयपुर राज०।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज०।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुरआदेश दिनांक 24.04.2025 पत्रावली संख्या 14/2022 उनवानी तुलसीदास बनाम सरकार।

उपस्थित–

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री मदनलाल कुडी, गोपाललाल बाना वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 23 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 24 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–01.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 24.04.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के समक्ष नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को निरस्त करते हुये पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखते हुये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2025 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 24.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.04.2025 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खेडी मिलक तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029 भोक्ता ठाकुर गोविन्द सिंह उपभोक्ता माफी भोग मंदिर श्री हनुमान जी पुजारी रूडा पुत्र हरीनारायण व हनुमान पुत्र हुक्मा के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिस की खातेदारी गैर कानूनी ढंग से

मोहना, देव्या पिसरान चोखला के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई जिसका संशोधन मुताबिक राज्यदेश परिपत्र, नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा दिनांक 16.06.2004 को जरिये नामान्तकरण संख्या 447 किया गया, उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेंट सं 1 ने दिनांक 6.9.2022 को ए. डी. एम. तृतीय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे एडीएम तृतीय ने स्वीकार करते हुये दिनांक 24.04.2025 को नामान्तकरण संख्या 447 खारिज करते हुये मृतक रेस्पोडेंट सं 2 ता 23 के नाम अवैध रूप से नामान्तकरण खोलने के आदेश प्रदान कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने शाश्वत नाबालिक की माफी भूमि को पुर्नग्रहण योग्य मानने तथा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश खारिज करने में कानूनी भूल की है। मंदिर भोग राज के लिए दी गई माफी मंदिर भूमि के हक जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पुर्नग्रहण योग्य नहीं है तथा मंदिर मूर्ति की भूमि शाश्वत नाबालिक की भूमि होने से उसके हक खातेदारी सबलेटी को प्राप्त नहीं हो सकते इस कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्रो की अनदेखी करते हुये वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2019 माफी मंदिर हनुमान जी महाराज की अनदेखी करते हुये आराजी मुतदावईया को अपीलान्ट की खातेदारी मान निर्णय पारित करने में अहम कानूनी व तथ्य की भूल की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को श्रवणार्थ ग्रहण कर निर्णय पारित करने मे अधिकार क्षेत्र का दरूपयोग किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में तस्दीक किया गया है। जमाबंदी संवत 2011–2029 के कॉलम संख्या 4 में "माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा०देह" अंकित है । मंदिर शाश्वत नाबालिग है, जिसके खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अहस्तांतरणीय है । जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 "ठाकुर गोविन्द सिंह" तथा कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता ने माफी मन्दिर श्री हनुमान जी अंकित है । ठाकुर गोविंद सिंह ने मन्दिर के भोग हेतु उक्त भूमि दी हुयी थी। यदि भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की पालना में नामान्तकरण संख्या 447 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा "आपणो खातो आपणो नाम' अभियान में दिनांक 16.06.2004 को विधिवत् स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश में अपीलाधीन नामान्तकरण मजमेआम स्वीकृत किया गया है, जिसकी जानकारी रेस्पो0 को तत्समय से थी। वर्ष 2004 के आदेश को इतने वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जो मियाद अधिनियम के तहत प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य थी। रेस्पो0 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई "लोकस स्टेण्डाई" नहीं था।यदि अपीलाधीन आदेश से रेस्पो0 को आपत्ति थी तो नियमानुसार घोषणा का दावा दायर करना चाहिये था।ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर दिनांक 24.04.2025 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को बहाल किया जावे।

समागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट का उक्त मन्दिर से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार बतौर पुजारी नही रहा है, और ना ही उक्त आराजी माफी मन्दिर श्री हनुमान जी की खुदकाश्त दर्ज थी केवल रेस्पोडेन्ट के

पूर्वज मोहना उर्फ मुना एवं देवा पुत्रान चोखा संवत 2011 से 2029 की खतौनी में कृषक कॉलम 5 दर्ज रिकार्ड है जिसको स्वतः ही खातेदारी अधिकार मिले, ऐसा कोई दस्तावेज ना ही पेश किया है और ना ही पुजारी होने के संबंध में दस्तावेज अदालत हाजा में प्रस्तुत किया है अधीनस्थ अदालत हाजा में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक बहस पर मनन कर न्यायोचित आदेश पारित किया गया हैं। इसलिये प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उक्त आराजीयात संवत 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉमल नम्बर 3 में ठाकुर गोविन्द सिंह जी कॉलम नम्बर 5 में माफी मन्दिर हनुमान जी जरिये पुजारी रूडा पुत्र हरिनारायण व हनुमान दहै और कॉलम संख्या 5 जो कृषक कॉलम है में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज मोहना उर्फ मुना व देवा पुत्रान चौखा जाति अहीर के नाम अंकित थी। जिस पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वज जागीर रिजम्पशन एक्ट दिनांक 16/12/1952 को प्रभाव में आया इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार उन व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जो एक टीनेन्ट काश्तकार थे उक्त भूमि पर मूर्ति मन्दिर बतौर खुद काश्त दर्ज नही थी ना ही रिकार्ड ऑफ राईट में इसके पक्ष में इन्द्राज थे एवं उनके बाद रेस्पोडेन्ट्स उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त निरन्तर चले आ रहे हैं, प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायोचित निर्णय पारित किया हैं। इसलिये अपील खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसरण में मन्दिर मूर्ति की भूमि में यदि भूमि के काश्तकार को हस्तान्तरण व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त हो गये या बन्दोबस्त की जमाबन्दी में खादमदार या अन्य किसी व्यक्ति के नाम काश्तकार अंकित कर रखा हो तो ऐसी स्थिति में जागीर उन्मूलन होने के उपरानत माफी मंदिर की भूमि का खातेदार काश्तकार मूर्ति मन्दिर नही होकर काश्तकार को ही खातेदार माना गया हैं। इसी प्रकार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के उपरान्त कृषक के कॉलम में किसी काश्तकार का नाम अंकित हो तो जमाबन्दी में अंकित कृषक को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार यदि कृषक के कॉलम में माफी मन्दिर खुदकाश्त दर्ज हो तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं करते हुए मूर्ति मन्दिर को खातेदार मानते हुए ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं करते हुए उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम यथावत रखी जायेगी। जबकि उक्त वर्णित आराजीयात की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 में कॉलम नम्बर 5 जो कृषक कॉलम में रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज बतौर काबिज खातेदार काश्त रहे तथा उनके उपरान्त निरन्तर संवत 2011 से वर्तमान तक रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/2007/14 परिपत्र क्रमांक दिनांक 24.5.2007, राज/प–36/न्याय/स्था./05/636–689 व परिपत्र क्रमांक (2) राज–6/2007/19 दिनांक 25.11.2011 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/207 पार्ट/101 दिनांक 18.9.2019 के माध्यम से यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि जागीर उन्मूलन अधिनिमय, 1952 के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राज को दुरुस्त किया जावे । राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने के समय मन्दिर माफी/जागीरदार की भूमि पर राजस्व रिकार्ड में काबिज काश्तकारों, पट्टेदारों या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे तथा ऐसे में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मन्दिर का भूमि पर जागीरदारी अधिकार समाप्त होने से भूमि मन्दिर के नाम कानूनन दर्ज नहीं रह सकती तथा धारा 9 के तहत स्वतः ही भूमि पर काश्त करने वाले काश्तकारों के खातेदारी अधिकार अर्जित होंगे।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6/12/2023 अपील/एल/5519/2021 उनवानी नियाजूलक बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माफी मन्दिर के संदर्भ में विस्तृत विवेचन करते हुये मुख्य बिन्दू कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर मन्दिर की भूमि काबिज काश्तकार बतौर खातेदार दर्ज होने चाहिए अथवा नही इस मुख्य बिन्दू पर राजस्थान भूमि सुधार एवं पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा स्पष्ट रूप से काश्तकार को मदद करती है तथा रेस्पोडेन्ट अधिनियम की उपरोक्त धारा 9 के तहत विधिक रूप से राहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तथा धारा 136 में भी इस तरह के प्रकरणो में दुरुस्ती किया हैं। जागीर उम्मूलन अधिनियम, 1952 के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राज को दुरुस्त करने के संबंध में समय–समय पर परिपत्र भी जारी किये गये है। इस संबंध में स्वयं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप –6) विभाग ने दिनांक 24.5.2007 को जारी परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि:–"जागीर अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो राजस्व भू–अभिलेखों में किसी व्यक्ति के नाम खातेदार/पट्टेदार खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। उन काश्तकारों को पूर्ण अनुवांशिक खातेदारी अधिकार एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है और वह ऐसी भूमियों के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा इसलिये ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होगा।" राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13/12/1991 जिसके द्वारा मात्र पुजारियों के द्वारा मन्दिर की भूमि को स्वयं के नाम दर्ज करवा ली गई थी से पुजारियों के नाम हटाने के संबंधं में था किसी खातेदार की खातेदारी विलोपित किये जाने के आदेश नही हैं। जिसकी पालना में परिपत्र का बिना अवलोकन किये तथा बिना परिपत्र के भावार्थ को समझे उक्त परिपत्र से रेस्पोडेन्टगण की आराजीयात को राजस्व जमाबन्दी संवत 2058 से 2062 में दर्ज खातेदारी को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये समाप्त कर माफी मन्दिर के नाम से गलत भूमि इन्द्राज कर दी। ऐसे मामलो में पारित आदेश जो प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड है जिनका विधि में कोई प्रभाव नही हैं, में मियाद का बिन्दू लागू नही होता हैं। जबकि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 मे अंकित कॉलम नम्बर 5 में दर्ज खातेदार को जागीरी उन्मूलन के पश्चात खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त अनुसार प्राप्त हुये। सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायोचित निर्णय पारित किया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रकरण में भी भूमि संवत 2011 से 2029 में मन्दिर की खुद काश्त की नही थी बल्कि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के नाम दर्ज थी । अर्थात वर्णित आराजीयात का किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार मन्दिर मूर्ति से नही हैं। इसलिये भी उक्त अपील जो मिथ्या तथ्यों पर पेश की है वह खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण में जो कि तहसीलदार का निर्णय अवैधानिक विधि विरुद्ध था जो स्वतः ही नल एण्ड वोईड है पर मियाद का बिन्दू लागू नही होता है पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से कानूनन विरोध नही हैं। इसलिये भी उक्त अपील

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील विधि विरुद्ध होने से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमायी जावें।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की पालना में नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को "माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा०देह" के नाम विधिवत् स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 447 को लगभग 18 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के माध्यम से ही "माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा०देह" के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि जमाबंदी संवत 2011–2029 के कॉलम संख्या 4 में "माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा०देह" अंकित है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 "ठाकुर गोविन्द सिंह" तथा कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता माफी मन्दिर श्री हनुमान जी अंकित है। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, जिसके खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अहस्तांतरणीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 18 वर्ष के विलम्ब के कारणों पर कोई तार्किक विवेचना किये बिना ही प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के माध्यम से ही मंदिर शाश्वत के खातेदारी अधिकार समाप्त कर निजी खातेदारी में हस्तान्तरित किये गये है, जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रौसेंडिंग है। जिसके तहत् खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरकरण नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट्स को यदि अपने अधिकार तय कराने हैं तो वे सक्षम न्यायालय से नियमित वाद के जरिये ही अपने अधिकार तय कराये जाने चाहिए थे। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2025 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2025 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 बहाल किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।